


AUTHENTICATED

  
SHOBHA KARANDLAJE  
Minister of State  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare  
Government of India  
New Delhi

**STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE ANNUAL  
REPORT AND AUDITED ACCOUNTS OF JAMMU & KASHMIR STATE AGRO  
INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 2014-  
2015 ONWARDS ON THE TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA.**

The Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited is an undertaking under the direct control of the State Government. The Government of India has a shareholding of about 48% in the Corporation.

2. As per provisions contained under Section 394(1) of the Companies Act, 2013, where the Central Government is a member of a Government Company, the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of the Company to be:

- (a) prepared within three months of its annual general meeting before which the audit report is placed under sub-section (6) of Section 143; and,
- (b) as soon as may be after such preparation, laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to the audit report, made by the Comptroller and Auditor General of India.

3. Further, in accordance with the recommendations contained in para 26 of the 1<sup>st</sup> Report of "Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha", copies of the Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation are to be placed on the Table of both the Houses of Parliament together with report/review, comments of auditors and Comptroller and Auditor General within 9 months of closure of the accounts.

4. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare have been vigorously pursuing the matter with the Corporation as well as with the State government to expedite submission of pending Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation. As such, the Corporation has been able to send the Annual Report and Audited Accounts of the Corporation for the year 2014-15 to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for laying on the Table of the House.



6. The reasons for delay in finalization of Annual Accounts of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited for the year 2014-2015 are as under:

S.No.	Task	Date with Period
1	Date of completion of accounts of the Corporation (approval of accounts by Board of Directors)	30.09.2019
2	Time taken by the Auditors for auditing the accounts by the Statutory Audit(Statutory Auditor)	137 day
3	Time taken in resolving audit queries and the date of receipt of the final audit report in the Corporation (CAG committee)	About 10 month 12.03.2021
4	Date of finalization of Annual Accounts (certification by statutory auditors)	17.02.2020
5	Time taken in translation of Annual Report and Audited of the Corporation	24 days
6	The date when the Annual Report and Audited Accounts of the Corporation were approved by the competent authority of the Corporation(AGM)	15.03.2021
7	Date when the final annual report and audited accounts of the corporation were sent to the Ministry	English-01.04.2021 Hindi-14.06.2021
8	Annual Report received in this Ministry	05.04.2021(English) 15.06.2021(Hindi)
9	Clarification sought	06.07.2021
10	Clarification received in this Ministry	12.07.2021

7. Hence, there has been a delay in laying the report on the table of the Houses.

\*\*\*\*\*

अधिप्रेषणांकित

*Sh. M. K. Singh*

जीवा कर्मचारी  
एन पी  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
सदस्य राज्य  
सभा, नई दिल्ली

वर्ष 2014-2015 से अब तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा/राज्य सभा की पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का विवरण।

जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन एक उपक्रम है। भारत सरकार की निगम में लगभग 48% हिस्सेदारी है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(10) के प्रावधानों के अनुसार, जहां केंद्र सरकार एक सरकारी कंपनी का सदस्य है, केंद्र सरकार कंपनी के कामकाज और मामलों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट:

(क) इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीनों के भीतर, जिससे पहले धारा 143 की उप-धारा (6) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, तैयार करवाएगी तथा,

(ख) इस तैयारी के बाद जल्द ही, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई, किसी भी टिप्पणी के साथ, या लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पूरक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी।

3. इसके अलावा, "टैबल, राज्य सभा पर प्रस्तुत पत्रों की समिति" की पहली रिपोर्ट के पैरा 26 में की गई सिफारिशों के मुताबिक, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और निगम के लेखा परीक्षित लेखों को लेखों के बंद होने के 9 महीनों के भीतर रिपोर्ट / समीक्षा, लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के साथ मिलकर संसद के पटल पर रखे जायेंगे।

4. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्टों की प्रस्तुति में तेजी लाने के लिए निगम और राज्य सरकार के साथ मामले को उठाता रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों के चलते, निगम वर्ष 2014-15 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे मंत्रालय को प्रेषित कर पाया है ताकि उन्हें सदन के पटल पर रखा जा सके।

—क्रमशः



6. वर्ष 2014-2015 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण निम्नानुसार हैं:

1	निगम के लेखों को पूरा करने की तिथि ( निदेशक मंडल द्वारा खातों की मंजूरी)	30.09.2019
2	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा (सांविधिक लेखा परीक्षक) में लिया गया समय	137 दिन
3	लेखा प्रश्नों को हल करने और निगम में अंतिम लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख (सीएजी समिति)	लगभग 10 माह 12.03.2021
4	वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने की तारीख (सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण)	17.02.2020
5	निगम की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा के अनुवाद में लिया गया समय	24 दिन
6	दिनांक जब वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा लेखा परीक्षक के निगम के सक्षम प्राधिकारी (एजीएम) द्वारा अनुमोदित किया गया।	15.03.2021
7	निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा खातों को सदन के पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय को भेजे जाने की तिथि	अंग्रेजी - 01.04.2021 हिंदी -14.06.2021
8	इस मंत्रालय में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि	अंग्रेजी - 05.04.2021 हिंदी -15.06.2021
9	स्पष्टीकरण मांगने की तिथि	06.07.2021
10	मंत्रालय में स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि	12.07.2021

7. अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।